महामारी (Pandemic) क्या है?

लेखक- तबस्सुम बारनगरवाला (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

13 मार्च, 2020

"किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए बीमारी से होने वाली मृत्यु की संख्या या मामलों की संख्या का कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया गया है।"

बुधवार को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने COVID-19 के प्रकोप को महामारी घोषित किया है।

महामारी क्या है?

सरल शब्दों में कहें तो एक महामारी (pandemic) किसी बीमारी के प्रसार का एक माप है। जब कोई नया रोग कई देशों और महाद्वीपों को सम्मिलित करने वाले विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैलता है और अधिकांश लोगों में इसके खिलाफ प्रतिरक्षा नहीं होती है, तो इस प्रकोप को महामारी कहा जाता है। यह महामारी या पैनडेमिक, (pandemic) स्थानीय महामारी (Epidemic) की तुलना में एक गंभीर चिंता का विषय है।

इसमें मृत्यु या मामलों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है जो यह निर्धारित करे कि प्रकोप को कब महामारी (pandemic) घोषित किया जाए। पश्चिम अफ्रीका में हजारों लोगों की जान लेने वाला इबोला वायरस एक स्थानीय महामारी (Epidemic) है क्योंकि अन्य महाद्वीपों पर इसकी उपस्थिति को चिह्नित नहीं किया गया था।

कोरोना वायरस के कारण होने वाले अन्य प्रकोपों जैसे MERS (2012) और SARS (2002) जो क्रमशः 27 और 26 देशों में फैल चुके थे, उन्हें महामारी का टैग इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इन पर अंततः नियंत्रण पा लिया गया था।

पिछले दिनों किन प्रकोपों को महामारी घोषित किया गया है?

एक प्रमुख उदाहरण 1918 का स्पैनिश फ्लू का प्रकोप है, जिसकी वजह से 20-50 मिलियन लोग मारे गये थे। 1817 और 1975 के बीच कई बार हैजा को महामारी घोषित किया गया था। 1968 में, H3N2 के कारण होने वाली बिमारी को एक महामारी

महामारी अधिनियम, 1897

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कहा है, ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह लागू हो।
- COVID-19 के प्रभाव को देखते हुए मंत्रियों के समूह (GoM) की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- वर्तमान में, भारत में कम से कम 78 COVID-19 मामलों की पुष्टि की गई है।
- इस अधिनियम के धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने का उद्देश्य मंत्रालय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सभी सलाहों को उचित रूप से लागू करना है।
- 2020 में कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जिसने इस अधिनियम को लागू किया है।

क्या है महामारी अधिनियम, 1897?

- इसे स्वाइन फ्लू, डेंगू और हैजा जैसी बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में नियमित रूप से लागू किया जाता है।
- इसे औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1890 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी में फैले बूबोनिक प्लेग की महामारी से निपटने के लिए पेश किया गया था।
- इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित किया जा सकता है।
- इस स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता होने पर राज्य सरकार को सामान्य कानूनों में बदलाव करने का अधिकार है।

घोषित किया गया था, जिससे लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। WHO द्वारा घोषित आखिरी महामारी 2009 में H1N1 के लिए थी।

WHO ने COVID-19 को महामारी क्यों घोषित किया?

चीन ने 31 दिसंबर को इस प्रकोप की घोषणा की और 30 जनवरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। डब्ल्यूएचओ (WHO) ने इसे महामारी घोषित करने से पहले 72 दिनों तक इंतजार किया। इसका प्रकोप अब तक ज्यादातर चीन तक ही सीमित था, जिसके लिए चीन ने बड़े कदम उठाए हैं।

पिछले दो हफ्तों में, चीन के बाहर के इस वायरस के मामलों में तेरह गुना वृद्धि हुई है और संक्रमित देशों में तीन गुना वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, इटली में 29 फरवरी को 888 मामले सामने आए थे जो एक सप्ताह में बढ़कर 4,636 हो गए। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनहोम ने कहा, "हम प्रभावित देशों की संख्या, मामलों की संख्या और आने वाले दिनों में इससे मरने वालों की संख्या बढ़ने की उम्मीद करते हैं।"

क्या घोषणा बीमारी के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है?

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि "किसी स्थिति को महामारी के रूप में बताना वायरस द्वारा उत्पन्न मृत्यु जोखिम के आकलन में बदलाव नहीं लाता है, साथ ही डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है और अन्य देश क्या कर रहे हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं लाता है।"

हालाँकि, कई विशेषज्ञों के बीच यह भी विचार है कि महामारी के रूप में वर्गीकरण अधिक से अधिक सरकारी ध्यान को आकर्षित कर सकता है। डॉ. बलराम भार्गव, (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक) ने कहा है कि "डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्गीकरण देशों को बीमारी के जोखिम के बारे में बताता है और देशों को इसके लिए निवारक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषण में सुधार करने में मदद करता है। भारत में, हम पहले से ही वह सब कर रहे हैं जो संभव है और इस समय अधिक सरकारी धन की आवश्यकता नहीं है।"

इस अधिनियम की धारा-2 क्या है?

- जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब अगर वो (राज्य सरकार) ये समझती है कि उस समय मौजूद कानून इस महामारी को रोकने के लिए काफी नहीं है, तो कुछ उपाय कर सकती है। ऐसे उपाय, जिससे लोगों को सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम हो सके।
- इस एक्ट में कुल मिलाकर 4 सेक्शन हैं और संभवत: यह सबसे छोटा एक्ट है।
- इस एक्ट के सेक्शन 2 में इसे लागू करने के लिए कुछ शक्तियाँ राज्य और सेक्शन 2 (A) की शक्तियाँ केंद्र सरकार को किसी महामारी को दूर करने या नियंत्रित करने के लिए दी गयी हैं।

कब-कब लागू हुआ है यह अधिनियम?

- साल 2009 में पुणे में स्वाइन फ्लू फैला था तब इस ऐक्ट का सेक्शन 2 लागू किया गया था। इस सेक्शन के तहत अस्पतालों में स्क्रीनिंग सेंटर खोले गए थे। स्वाइन फ्लू को तब सरकार ने बेहद गंभीर बीमारी की कैटेगरी में रखा था।
- साल 2018 में गुजरात के वड़ोदरा जिले के कलेक्टर ने इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया था। खेड़कर्म्सिया गाँव के वागोदिया तालुका में 31 लोगों में कॉलेरा के लक्षण एक साथ दिखाई दिए थे।
- साल 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि सरकारी नियम-निर्देश न मानने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। अधिकारियों ने इस अधिनियम के तहत चालान भी काटे थे।

महामारी (pandemic) और स्थानीय महामारी (Epidemic) में अंतर

- वह बीमारी जो दुनिया भर में फैल जाती है उसे पैनडेमिक या महामारी कहते हैं जबकि एपिडेमिक किसी एक देश, राज्य, क्षेत्र या सीमा तक सीमित होती है।
- जैसे साल 1918 से 1920 तक फैले स्पैनिश फ्लू को महामारी घोषित किया गया था क्योंकि इससे कई देशों में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। इससे करोड़ों मौतें हुई थी।
- वहीं 2014-15 में फैले इबोला को एपिडेमिक घोषित किया गया क्योंकि यह बीमारी लाइबेरिया और उसके पश्चिम अफ्रीका के कुछ पड़ोसी देशों में फैली थी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया है। महामारियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोरोना वायरस के कारण MERS (2012) और SARS (2002) को महामारी घोषित किया गया था।
2. इबोला वायरस पश्चिमी अफ्रीका की स्थानीय महामारी है।
3. भारत में महामारी अधिनियम 1897 की धारा (2) महामारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रावधान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Currently, the outbreak of corona virus has been declared an Pandemic by the World Health Organization (WHO). Consider the following statements in the context of Pandemics:

1. MERS (2012) and SARS (2002) were declared pandemic due to corona virus.
2. Ebola virus is a local epidemic of West Africa.
3. Section (2) of the Epidemic Act 1857 in India provides for the prevention and control of epidemics.

Which of the above statements are true?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 07 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. किसी स्वास्थ्य आपदा को महामारी घोषित करने के आधारों को स्पष्ट करते हुए, इस घोषणा से पड़ने वाले प्रभावों की भी चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Explaining the basis of declaring a health disaster as a pendemic, also discuss the implications of this declaration. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।